क्रम-संख्या-115

रजिस्ट्रेशन नम्बर--जी0--11/लाई0--

न्यूज पेपर/91/05--06

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, मंगलवार, 30 मई, 2006

ज्येष्ठ 9, 1928 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 571/सात-वि—1—01(क) 19-2006

लखनऊ, 30 मई, 2006

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2006 पर दिनांक 29 मई, 2006 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17 सन् 2006 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिनियम द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2006

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17 सन् 2006)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2006 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 1953 की धारा 2 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में खण्ड (ख) निकाल दिया जाएगा।

धारा 3 एवं 4 का निकाला जाना

3–मूल अधिनियम की धारा 3 और 4 निकाल दी जाएगी।

धारा 28 का संशोधन

4–मूल अधिनियम की धारा 28 में शब्द "बोर्ड तथा परिषद्" जहां भी आए हों, के स्थान पर शब्द "परिषद्" रख दिया जाएगा।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 की धारा 3 और 4 में गन्ना बोर्ड के क्रमशः गठन तथा कार्यों का विवरण है।

गन्ना प्रजातियों के बदलाव एवं सम्वर्द्धन तथा क्षेत्रवार उपयुक्त एवं अनुपयुक्त प्रजातियों के वर्गीकरण से सम्बन्धित कार्यों का निष्पादन राज्य सरकार द्वारा गठित कोर कमेटी द्वारा किया जा रहा है। गन्ना आयुक्त द्वारा सट्टा नीति के माध्यम से गन्ना आपूर्ति एवं खरीद के सम्बन्ध में विस्तृत निदेश प्रदान किया जाता है। जिला स्तर पर गठित गन्ना कार्यान्वयन समिति द्वारा पेराई सत्र के दौरान नियमित रूप से गन्ने की समानुपातिक खरीद एवं गन्ना मूल्य भुगतान आदि का अनुश्रवण किया जाता है। चूँकि गन्ना बोर्ड के कार्यों का सम्पादन विभिन्न समितियों द्वारा किया जा रहा है, अतः गन्ना बोर्ड की विद्यमानता अनावश्यक हो गयी है। अतएव, यह विनिश्चय किया गया है कि उपर्युक्त अधिनियम को संशोधित करके गन्ना बोर्ड से सम्बन्धित उपबन्धों को निकाल दिया जाय।

तदनुसार उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2006 पुरः स्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
राम हरि विजय त्रिपाठी,
प्रमुख सचिव।

UTTAR PRADESH SARKAR
VIDHAYI ANUBHAG-1

No. 571/VII-V-1-1(Ka) 19-2006
Dated Lucknow, May 30, 2006

NOTIFICATION

MISCELLANEOUS

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Ganna (Purti Tatha Kharid Viniyaman) (Sanshodhan) Adhiniyam, 2006 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 17 of 2006) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on May 29, 2006.

THE UTTAR PRADESH SUGARCANE (REGULATION OF SUPPLY AND PURCHASE) (AMENDMENT) ACT, 2006

(U.P. Act no. 17 of 2006)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) Act, 1953

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-seventh Year of the Republic of India as follows :–

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) (Amendment) Act, 2006. — Short title

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) Act, 1953, hereinafter referred to as the principal Act, clause (b) shall be *omitted*. — Amendment of section 2 of U. P. Act no. 24 of 1953

3. Sections 3 and 4 of the principal Act shall be *omitted*. — Omission of sections 3 and 4

4. In section 28 of the principal Act, *for* the words "Board and Council" wherever occurring, the word "Council" shall be *substituted*. — Amendment of section 28

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Sections 3 and 4 of the Uttar Pradesh Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) Act, 1953 provide respectively for the Constitution and the functions of the Sugarcane Board.

The functions of Sugarcane Board regarding replacement, development and region-wise classification of suitable and unsuitable sugarcane varieties, are being performed by a core committee constituted by the State Government. The Cane Commissioner, through bonding policy, imparts detailed direction pertaining to the sugarcane supply and purchase. The cane implementation committees constituted at the district level regularly monitor proportionate purchase of sugarcane and position of cane price payment during the crushing season. Since the functions of the Sugarcane Board are being performed by different committees, the existence of Sugarcane Board has become unnecessary. It has, therefore, been decided to amend the aforesaid Act to omit the provisions relating to the Sugarcane Board.

The Uttar Pradesh Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) (Amendment) Bill, 2006 is introduced accordingly.

By order,

RAM HARI VIJAY TRIPATHI,

Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी० ए० पी० 252 राजपत्र (हि0)–(386)-2006–597(कम्प्यूटर / आफसेट) ।

पी० एस० यू० पी०–ए० पी० 38 सा० विधायी–(387)-2006–850 प्रतियां–(कम्प्यूटर / आफसेट) ।